संख्या: 3429/VII-I/70-उद्योग/2006

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय उत्तरांचल,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 देहरादून, दिनांक: 10 नवम्बर 2006

विषय: वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के पत्र संख्या 11(1)/2006-एस एण्ड डी 1045-1121 दिनांक 14 जुलाई, 2006 के क्रम में आपके पत्र संख्या 2372/उ0नि0/ बजट/गणना/2006-07 दिनांक 19 अगस्त, 2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उद्योग विभाग के आयोजनागत पक्ष के 0101-लघु उद्योगों की गणना योजना (100% के0स0) के अन्तर्गत चालू कार्यो एवं अति आवश्यक वचनबद्ध मदों में व्यय किये जाने हेतु शासनादेश संख्या: 1391/VII-I/70-उद्योग/2006 दिनांक 03 अप्रैल, 2006 एवं शासनादेश संख्या: 1752/VII-I/70-उद्योग/2006 दिनांक 29 अप्रैल, 2006 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि को सम्मिलित करते हुए भारत सरकार द्वारा उपरिउल्लिखित पत्र दिनांक 14.7.2006 के द्वारा अवमुक्त धनराशि के अनुसार संलग्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिए रूपया 9,80,000/-(रूपये नौ लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि इस आशय से आपके निवर्तन पर रखी जा रही है, कि उद्योग निदेशालय स्तर से बजट की धनराशि उद्योग निदेशालय के अधीन 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत मांग के अनुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3- व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जाय, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने में बजट

मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरांत व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाये।

4– उक्त योजना पर धनराशि का व्यय करते समय उपरिउल्लिखित भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 14.07.2006 के द्वारा निर्गत समस्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा और निर्धारित समयावधि के अन्दर अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग करके भारत सरकार एवं राज्य सरकार को इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

5– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक–2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 102–लघु उद्योग, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 01–लघु उद्योगों की गणना योजना (100% केoसहा0) के अन्तर्गत संलग्न में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 1068/XXVII(2)/2006 दिनांकः 06 नवम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 3429(1)/VII-1/70–उद्योग/2006, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. समस्त जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
5. अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
6. अपर निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय उत्तरांचल, देहरादून।
7. निदेशक, एनoआईoसीo, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2
9. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(राजीव चोपड़ा)
सचिव।

शासनादेश संख्याः 3429/VII-1/70–उद्योग/2006, दिनांक नवम्बर, 2006 का संलग्नक :–

01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाः

0101–लघु उद्योगों की गणना योजना (100% के0सहा0):

कोड/मद का नाम	आवंटित बजट (रू0 हजार में)
01– वेतन	350
03– महगाई भत्ता	147
04– यात्रा व्यय	30
06– अन्य भत्ते	39
07– मानदेय	10
08– कार्यालय व्यय	40
11– लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	40
13– टेलीफोन व्यय	25
15– गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20
18– प्रकाशन	10
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	25
42– अन्य व्यय	5
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	44
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	20
48– महगाई वेतन	175
कुल योगः	**980**

(रूपये नौ लाख अस्सी हजार मात्र)

(संजीव बंगवाड़ा)
सचिव।